

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0)
कोर्ट/प्रार्थना पत्र/74/2024/ वायर दिनांक 10.06.2024

धारा 136 एल.आर.एक्ट
उत्नवान- नारायण पिता देवा माली नि0 रायपुर तहसील रायपुर
बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला झालावाड़

—: आदेश :-

दिनांक 29/10/2024

प्रार्थी नारायण पिता देवा माली नि0 रायपुर तहसील रायपुर के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में संलग्न दरतावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रायपुर की अनुशंका के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रायपुर पटवार मण्डल रायपुर तहसील रायपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में खाता संख्या 332 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	ग्राम रायपुर पटवार मण्डल रायपुर तहसील रायपुर	332	नारायण पुत्र देवा	नारायण पुत्र देवा

— 54 —

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

क्रमांक:- राजस्व/2024/74

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

दिनांक 29/10/2024

1. तहसीलदार रायपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Yus

